

**// निविदा आमंत्रण //**

**नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत बैनर एवं फ्लैक्स प्रदाय कार्य (Empanellment work)**

एतद् द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत बैनर एवं फ्लैक्स प्रदाय कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक ठेकेदार अपनी दरे सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक - 12.09.2024 से दिनांक - 04.10.2024 को समय - संध्या 05:30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं-

कार्य का नाम	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत बैनर एवं फ्लैक्स प्रदाय कार्य (Empanellment work)	04 अक्टूबर 2024 संध्या - 05:30 बजे तक

**निविदा शर्तें एवं कार्य विवरण:-**

1. आयकर व GST पंजीकृत इच्छुक व्यक्ति संस्था/ठेकेदार निकाय के Website:- [www.nagarnigambhilaicharoda.com](http://www.nagarnigambhilaicharoda.com) से Download कर सकते हैं। निविदा के साथ राशि ₹750.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा एवं अमानत राशि ₹ 5,000.00 का F.D.R आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा तीन लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा "अ" में अमानत राशि का D.D./F.D.R एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय आफर का द्वितीय लिफाफा "ब" एवं जी.एस.टी. पंजीयन का तृतीय लिफाफा "स" नहीं खोला जावेगा एवं प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
3. निविदा में पात्रता हेतु G.S.T. पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
4. प्राप्त न्यूनतम दर अनुसार सहमति प्राप्त कर सहमत एजेन्सियों को वार्षिक कार्य हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा में पंजीकृत किया जावेगा एवं कार्य की आवश्यकतानुसार पूर्व निर्धारित दरों पर कार्यादेश प्रदान कर कार्य कराया जा सकेगा।
5. न्यूनतम दर दाता स्वयमेव उस कार्य हेतु पंजीकृत होगा।
6. पंजीयन के पश्चात् कार्यादेश दिए जाने के उपरान्त कार्य पूर्ण न करने पर 2 वर्षों के लिए निविदा से वंचित किया जावेगा एवं F.D.R राजसात किया जावेगा।
7. उक्त कार्य की अवधि 12 माह तक के लिए होगी। आवश्यकता पड़ने पर उक्त अवधि में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की अनुमति एवं परस्पर सहमति उपरान्त वृद्धि की जा सकेगी।

8. दरें समस्त करों सहित दिया जाना होगा। नियमानुसार आयकर, श्रम कल्याण एवं उपकर की कटौती की जावेगी।
9. समय-समय पर शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
10. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा का होगा जो कि अंतिम सर्वमान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
भिलाई चरौदा

**कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा**  
**निविदा दर पत्रक**

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर / प्रति वर्गफीट	
			अंको में	शब्दों में
1	2	3	4	5
1	<b>नार्मल पी.वी.सी. फ्लेक्स प्रिंट</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिंट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
2	<b>नार्मल पी.वी.सी. फ्लेक्स 5 स्टार प्रिंट</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिंट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
3	<b>हार्ड पी.वी.सी में नेम प्लेट प्रिंट</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिंट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
4	<b>रॉयल इको/फैग्रिक 250 GSM प्रिंट</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिंट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
5	<b>फ्लैक्स 120 GSM प्रिन्ट</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिन्ट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
6	<b>फ्लैक्स 120 GSM प्रिन्ट मटेरियल एवं 01 इंच के स्क्वायर पाईप 16 गेज पाईप आयरन फ्रेम सहित</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिन्ट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
4	<b>फाईबर शीट में One Way Vinyl एवं ट्रांसपेरेंट फाईबर शीट सहित</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिन्ट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
5	<b>सनबोर्ड में Vinyl प्रिन्ट मटेरियल सहित</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिन्ट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		
6	<b>Reflector Retro प्रिन्ट मटेरियल सहित</b> (निकाय के अधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्रिन्ट एवं स्थापना कार्य)	प्रति वर्गफीट		